संख्या-427/2017/188/22-2-2017-17(430)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 14 जून, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोहन पुत्र श्री गुलाब, निवासी जनपद-ललितपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016 (एम.17.11.2016) दिनांक 16.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 16.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोहन पुत्र श्री गुलाब, ग्राम बिरधा, थाना तालबेहट हाल थाना पूराकलां, जनपद-ललितपुर का निवासी है। बन्दी ने मुकदमेंबाजी को लेकर चल रही रंजिश में 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26.08.1986 को लगभग 12.00 बजे बल्लम, कुल्हाडी एवं लाठियों से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की एवं 04 व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/1987 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 307, 302, 323 में मा0 सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 31-05-1988 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.1988 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.07.2016 तक 28 वर्ष 06 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 37 वर्ष 10 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व पूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने मुकदमेंबाजी को लेकर चल रही रंजिश में 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26.08.1986 को बल्लम, कुल्हाडी एवं लाठियों से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने, 04 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-55 वर्ष लगभग होने, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने 05 बिन्दु की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सोहन पुत्र श्री गुलाब, निवासी जनपद-ललितपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि बन्दी के 03 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सोहन (बन्दी संख्या-6615) पुत्र श्री गुलाब, निवासी जनपद-ललितपुर को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-427/2017/188(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-ललितपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-427/2017/188@22-2-2017-17(430)/2009

दिनांक 14 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी सोहन (बन्दी संख्या-6615) पुत्र श्री गुलाब, ग्राम बिरधा, थाना तालबेहट हाल थाना पूराकलां, जनपद-ललितपुर का निवासी है। बन्दी ने मुकदमेंबाजी को लेकर चल रही रंजिश में 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26.08.1986 को लगभग 12.00 बजे बल्लम, कुल्हाडी एवं लाठियों से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की एवं 04 व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/1987 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 307, 302, 323 में मा0 सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 31-05-1988 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.1988 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.07.2016 तक 28 वर्ष 06 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 37 वर्ष 10 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व पूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने मुकदमेंबाजी को लेकर चल रही रंजिश में 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26.08.1986 को बल्लम, कुल्हाडी एवं लाठियों से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने, 04 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-55 वर्ष लगभग होने, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने 05 बिन्दु की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सोहन पुत्र श्री गुलाब, निवासी जनपद-ललितपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि बन्दी के 03 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in